न्यायालय, समाहर्त्ता–सह–जिलादण्डाधिकारी, खगड़िया

उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–372 / 2018–19

राज्य बनाम रामवती देवी

आदेश की क्रम सं. और तारीख 1	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3
14.12.2018	**आदेश** बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 अंतर्गत प्रश्नगत वाद, पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के अधिहरण प्रस्ताव पत्रांक–4454 / हि0शा0, दिनांक–22.09.2018 के आलोक में प्रारम्भ किया गया है। अधिहरण प्रस्ताव में स्पष्ट अंकित है कि दिनांक–22.09.2018 को गुप्त सूचना के अधार पर ग्राम अररिया स्थित छापामारी में अवैध विदेशी शराब अभियुक्त रामवती देवी, पति–स्व0 नागेश्वर यादव, थाना–परबत्ता(मड़ैया) जिला–खगड़िया के ईट–फुस तथा चदरा के बने घर से बरामद किया गया था। अधिहरण प्रस्ताव में यह भी अंकित है कि अभियुक्त रामवती देवी के घर को सील बन्द कर दिया गया है । अभिलेख में बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा–30(ए) के अर्न्तगत गिरफ्तारी, जप्ती या तलाशी की प्रारंभिक रिपोर्ट संलग्न है। प्रतिवेदन जप्ती का विवरण स्पष्ट है, जो अधिहरण प्रस्ताव में वर्णित स्थिति को संपुष्ट करता है। जप्ती की विवरणी निम्नवत् हैं :– जप्ती सूची के अनुसार घर में अवैध रूप से Royal ASTG Whishy 186 लीटर कुल 576 बोतल में अवैध विदेशी शराब बरामद किया गया है। प्राप्त अधिहरण प्रस्ताव के आलोक में सभी संबंधित को विधिवत सूचना निर्गत कर सुनवाई की निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया। मकान के स्वामी रामवती देवी, पति–स्व0 नागेश्वर यादव, साकिन–अररिया, थाना–परबत्ता(मड़ैया) अंचल–परबत्ता जिला–खगड़िया को निर्धारित तिथि दिनांक–20.11.2018 को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु संसूचित किया गया। मकान के स्वामी रामवती देवी द्वारा अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 14.12.2018 को कारण पृच्छा दाखिल किया गया। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि इस वाद में मेरे विरूद्व झुठा मुकदमा परबत्ता थाना काण्ड संख्या–209 / 2018 दर्ज हुआ, जिसमें जमानत मुझे जमानत श्रीमान उच्च न्यायालय पटना से क्रिमिनल मिस सं0–46273 / 2018 से जमानत पर हूँ। मुझे सिर्फ एक ही घर है रहने के लिए दुसरा घर नहीं है। जवकि मेरे घर में अन्य मुदालह आम का पेटी कहकर पेटी रखा था ना तो मैं किसी तरह का व्यापार करती थी और ना ही करती हूँ।शील बन्द मकान को मुक्त करने का आग्रह किया है। पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के संलग्न अधिहरण प्रस्ताव, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गोगरी के प्रतिवेदन एवं जप्ती सूची के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत मकान / भूखण्ड का उपयोग विपक्षी द्वारा ईरादतन शराब के कारोबार के लिए किया जा रहा था, जो वर्तमान में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत संज्ञेय अपराध है तथा इसमें प्रयुक्त मकान अधिहरण योग्य है। विपक्षी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया। उनके द्वारा सुनवाई हेतु कारण–पृच्छा समर्पित किया गया तथा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुए। कारण–पृच्छा में दर्शाए गए तथ्य व कारण अस्वीकार्य है। अतः कारण–पृच्छा अस्वीकार किया जाता है।	

सुनवाई के क्रम में विशेष लोक अभियोजक द्वारा इस कांड में विधिवत की गई जप्ती एवं प्रश्नगत मकान से जप्त शराब की मात्रा का उल्लेख करते हुए प्रश्नगत मकान को अधिनियम की धारा–58(2) के अंतर्गत अधिहरण योग्य बताया गया है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि सभी प्रतिवेदनों से यह स्पष्ट है कि संदर्भित अधिनियम अंतर्गत राज्य में शराब पूर्णतः निसिद्ध होने के कारण शराब का कारेबार करना बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम के अर्न्तगत संज्ञेय अपराध है।

उभयपक्षों की बहस तथा अभिलेख के अवलोकन के आधार पर मैं संतुष्ट हूँ कि प्रश्नगत मकान बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 के अंतर्गत अधिहरण किये जाने योग्य है। अतः निम्नलिखित रूप में आदेश दिया जाता हैं कि :–

1. इस अपराध में उपयोग में लाये गये मकान जो थानाध्यक्ष परबत्ता(मड़ैया) द्वारा सील बन्द किया हुआ है, तथा जिसकी चौहद्दी निम्नवत् है–पश्चिम –तुलो यादव पे0–सियाराम यादव का परती जमीन, पूरब–गोदो यादव पे0–स्व0 शुभुक यादव का परती जमीन, उत्तर–बुचो यादव पे0–स्व0 कारे यादव का परती जमीन, दक्षिण–राजेश यादव पे0–स्व0 भोगी यादव का पक्का मकान के मकान को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा–58(2) के अंतर्गत अधिहरण किया जाता है। अधिहरण कियां जाने वाला घर किसी भी ऋण–भार से मुक्त होगा। साथ–ही लोकहित में आदेश दिया जाता है कि इस अधिनियम की धारा–58 (5) के अंतर्गत सार्वजनिक निलामी के माध्यम से इसकी बिक्री की जाय।
2. कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि वे सील बन्द मकान का उचित मूल्यांकन कर मूल्यांकन प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर समर्पित करेंगे।
3. सार्वजनिक निलामी की कार्रबाई उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया की देख–रेख में की जायेगी और निलामी से प्राप्त धन–राशि सरकारी खजाने में विहित रीति से जमा की जायेगी।

लेखापित एवं संशोधित

(हस्ताक्षर) 14/1/2

समाहर्ता,
खगड़िया।

(हस्ताक्षर) 14/1/2

समाहर्त्ता,
खगड़िया।

ज्ञापांक 54/विधि दिनांक 31.01.2019
प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल खगड़िया / उत्पाद अधीक्षक खगड़िया / को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी खगड़िया को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आदेश जिला के वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

(हस्ताक्षर)

प्रभारी पदाधिकारी
विधि शाखा खगड़िया
31/1/19